F.No. 15-54/1-NMA/2021 Government of India Ministry of Culture National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Brahmeswar Temple", Locality- Baragarh, District – Khurda, Odisha have been prepared by The Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2010 and Rule 18 of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011 and the same is uploaded on the following websites:

- 1. National Monuments Authority www.nma.gov.in
- 2. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
- 3. Archaeological Survey of India, Bhubaneswar Circle www.asibbscircle.in

Any person having any suggestion or comment may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email id hbl-section@nma.gov.in latest by 18th February 2021. The person making comment or suggestions should also give his name and address.

The objection or comment which may be received before the expiry of the period of 30 days i.e. 18th February 2021 shall be considered by The National Monuments Authority.

(N.T. Paite) 18th January 2021



संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY



ब्रहमेश्वर मंदिर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्दा, ओडिशा के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District – Khurda, Odisha

भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 जिसे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पढ़ा जाए, की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक ब्रह्मेश्वर मंदिर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्दा, ओडिशा के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपित्त और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतत्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपित्त या सुझाव, यदि कोई हों, को सदस्य सिचव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप-विधि

अध्याय ।

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

- (i) इन उप-विधियों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक ब्रहमेश्वर मंदिर, स्थान- बारागढ़, जिला-खुर्दा, ओडिशा के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2021 कहा जाएगा।
- (ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।
- (iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं-

- (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विदयमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं:
 - (i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
 - (ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
 - (iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - (iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन:
 - (ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-
 - (i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाइ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - (ii) उस क्षेत्र तक पह्ंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;
 - (ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) है;
 - (घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पद (रैंक) का नहीं है;
 - (ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या प्रातत्व आयुक्त के रैंक से नीचे न हो या समत्ल्य रैंक का ऐसा अधिकारी

अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ड के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

- (छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें उध्वांकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जल के प्रदाय का उपबंध करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए उपबंध शामिल नहीं हैं;]
- (ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

- (झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;
- (ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सिहत "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाइ से घेरना, उसे कवर करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के पिररक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
- (ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

- (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियां निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक- उत्तराधिकारी, तथा
- (ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;
- (ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;
- (ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और उध्वींकार सीमाएं समान हैं;
- (द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्त् इसके अंतर्गत निर्माण या प्न:निर्माण नहीं शामिल होंगे।
- (2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय ॥

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबिक ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमित से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमित सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

- 2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषिनयम (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) 2011, नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए मानदंडों (पैरामीटर) का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त तथा कार्य संचालन) नियम,2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।
- 2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा

विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अन्सार विनिर्दिष्ट है:

- (क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना की किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
- (ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
- (ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।


अध्याय III

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - ब्रह्मेश्वर मंदिर, बारागढ़, जिला खुर्दा, ओडिशा की अवस्थिति एवं विन्यास

3.0 स्मारक का अवस्थिति एवं विन्यास

- यह जीपीएस निदेशांक के 20°14'23.15"; उत्तरी अक्षांश और 85°51'06.22" पूर्वी
 देशांतर देशांतर पर स्थित है।
- अहाते में छोटे मंदिरों सिहत ब्रह्मेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर से दिक्षण में 8.7 किलोमीटर की दूरी पर बारागढ़ जिला-खुर्दा, ओडिशा में स्थित है।

- स्मारक रेल, सड़क और वायुमार्ग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है जो दक्षिण दिशा में मंदिर से 4.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- नजदीकी हवाई अड्डा बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो मंदिर से पश्चिम
 दिशा में 4.9 किलोमीटर की दूरी पर है।
- मंदिर बारामुंडा और भुवनेश्वर बस स्टैंड से बस सेवाओं द्वारा परस्पर रूप से जुड़ा हुआ
 है।



मानचित्र 1, ब्रहमेश्वर मंदिर का गूगल मानचित्र स्थान- बारागढ़, जिला-खुर्दा, ओडिशा

3.1 स्मारक की संरक्षित सीमा:

इसे अन्लग्नक-। पर देखा जा सकता है।

3.1.1भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग(ए.एस.आई.) के अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के अनुसार अधिसूचित मानचित्र/योजना:

स्मारक की अधिसूचना अनुलग्नक-॥ पर देखी जा सकती है।

3.2 स्मारक का इतिहास:

मंदिर जिसका आगे का भाग पूर्व दिशा की ओर है, भगवान शिव को समर्पित है। यह सोमवंश के राजा उद्योत केसरी की माता कोलावती द्वारा इनके शासन के 18वें शासकीय वर्ष में बनाया गया था। यह जगमोहन स्वरूप के आंतरिक अलंकरण सिहत भुवनेश्वर का दूसरा मंदिर है। इस तरह का पहला मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च एवं चित्रकला उत्कृष्टता में बाह्ल्यता में अच्छी कलाकारी के लिए भी प्रसिद्ध है।

एकाम्र पुराण, एकाम्र लिंगराज मंदिर का पुराना नाम होने के कारण, यह उल्लेख करता है कि भगवान शिव ने भगवान ब्रहमा से लिंगराज मंदिर के उत्तर-पूर्वी भाग में मंदिर निर्माण कराने का अनुरोध किया था। भगवान ब्रहमा के आदेश पर विश्वकर्मा ने मंदिर का निर्माण किया और इनका नाम सर्जक के नाम पर रखा गया। इस बात को अभिलेखों द्वारा स्थापित किया गया है जो पहले लिखित में दीवार पर अंकित थी लेकिन अब इसकी छवि धूमिल हो गई है। शासकीय वर्षों के आधार पर इसके निर्माण की तारीख 11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य निर्धारित की जा सकती है। कुछ विद्वान इसके कुछ पहले अर्थात 10वीं शताब्दी ईस्वी में रखते हैं। सोमवंशियों का झुकाव शैव धर्म की ओर था और वे भुवनेश्वर के अधिकांश महत्वपूर्ण शिव मंदिरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)

यह मंदिर जगमोहन शैली में आंतरिक अलंकरण वाला भुवनेश्वर में दूसरा मंदिर है, पहला मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर है। मंदिर की ऊंचाई 18.29 मीटर है। मुख्य मंदिर में देउल (रेखा) और जगमोहन (पीढ़ा) शामिल हैं। यह रेखाचित्र पर पंचरथ और पंचआतमा की भांति है। मंदिर मूल रूप से ठेठ ओडिशी मंदिर के रूप में बना हुआ है जिसमें पिरामिड (पीढ़ा) सहित जगमोहन है जो पूर्ण रूप से मस्तक से ढका हुआ है। देउल बाड़ा का पांच मोड़ वाला भाग है जिसे पंचरथ मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है, विमान को गोल किनारों के कारण वर्गाकार आकृति प्रदान नहीं की गई है। देउल और जगमोहन दोनों भूमि से सीधे उठे हुए हैं और चब्तरा रहित हैं। मुख्य संरचना में लघु शिखर और पीढ़ा दोनों को देखा जा सकता है। कुछ परिष्कृत और कुछ अध्रे हैं। लघु पीढ़ा ब्रहमेश्वर मंदिर की अन्ठी विशेषता है जो कहीं अन्यत्र नहीं पाया जाता है। ब्रहमेश्वर मंदिर का गवाक्ष का ज्यादा रूप अंकन किया गया है। पहले की भांति शिव के पार्श्व देवता अर्थात गणेश, कार्तिकेय और पार्वती प्रत्येक को पत्थर के एकल खंड में बनाया गया है और इसे केन्द्रीय राहपग पर उनके संबंधित आले में रखा गया है। जगमोहन में एक दरवाजे के अतिरिक्त उत्तर और दक्षिण में दो बोल्सटर्ड खिड़कियां मौजूद हैं।

3.4 वर्तमान स्थिति :

3.4.1 स्मारक की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन :

यह स्मारक परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

3.4.2 दैनिक पदार्पण और कभी-कभार जुटने वाली भीड़ की संख्या:

लगभग 200 आगंतुक प्रतिदिन मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। श्रावण के महीने में लगभग 400 आगंतुक प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, मौजूदा क्षेत्रीकरण यदि कोई है

4.0 मौजूदा क्षेत्रीकरण:

भुवनेश्वर विकास योजना क्षेत्र, 2030 की विस्तृत विकास योजना में मंदिर को विशेष विरासत क्षेत्र में रखा गया है। भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना एवं भवन मानक) विनियमन 2008 के अनुसार, विरासत भवन/स्मारक और धार्मिक स्थलों को सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र (भाग III, 24 और 25) में रूप से रखा गया है, जबिक ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के क्षेत्रों को 'विशेष क्षेत्र उपयोग जोन' (भाग III, 24 और 25) में रखा गया है।

4.1 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

इन्हें **अनुलग्नक-III** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची के अनुसार जानकारी, नियम 21 (1)/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख में परिभाषित सीमाओं के आधार पर निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के कुल स्टेशन सर्वेक्षण।

5.0 ब्रहमेश्वर मंदिर की रूपरेखा, स्थान- बारागढ़, जिला-खुर्दा, ओडिशा :

ब्रहमेश्वर मंदिर सर्वेक्षण योजना, स्थान- बारागढ़, जिला खुर्दा, ओडिशा को **अनुलग्नक**- IV में देखी जा सकती है।

5.1 सर्वेक्षण किए गए आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संरक्षित क्षेत्र (लगभग) : 1,18,86.22 वर्गमीटर (2.937 एकड़)।
- प्रतिषिद्ध क्षेत्र (लगभग) : 76,537.304 वर्गमीटर (18.910 एकड्)।
- विनियमित क्षेत्र (लगभग) : 3,40,519.927 वर्गमीटर (84.144 एकड्)।

म्ख्य विशेषताएं:

स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सभी दिशाओं में भूमि-उपयोग मुख्य रूप से रिहायशी आवास और व्यावसायिक प्रयोजन हेतु अपार्ट्मेंट, छोटी दुकानें आदि हैं। स्मारक के सामने की सड़क शहर की सड़क को परस्पर रूप से जोड़ती है। स्मारक के पूर्वी भाग को छोड़कर तीनों दिशाओं में सड़कें और नालियां जाती हैं। स्मारक के विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिमी दिशा में खुले क्षेत्र मौजूद हैं। तथापि इसकी विपरीत दिशाओं में, कुछ नए निर्माण सामने आए हैं।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- उत्तर इस दिशा में आधुनिक भवन, छोटी दुकानें, कंक्रीट रोड, मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क, 33 केवीए और 240 वोल्ट विद्युत लाइन, टेलीफोन लाइन और मेनहोल मौजूद हैं।
- दक्षिण इस दिशा में आधुनिक घर जो अधिकांशत: भूतल+1, कंक्रीट सड़क,
 उप सड़क, चिनाई युक्त नाला, पोल सिहत विद्युत लाइन, बोरवैल, मेनहाल,
 टेलीफोन लाइन और सैप्टिक टैंक आदि मौजूद हैं।
- पूर्व इस दिशा में आधुनिक भवन, चिनाईयुक्त नाला, पोल सहित विद्युत लाइन, कंक्रीट रोड, ट्रांसफॉर्मर, एयरटेल कंपनी का टेलीफोन टावर मौजूद है। उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा में मौजूद क्षेत्र सघन आबादी वाला है।
- पश्चिम इस दिशा में हरित क्षेत्र, खुला क्षेत्र, तालाब, कुछ झोपड़ियां और आधुनिक मकान, दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहुमंजिला भवन और उत्तर-पश्चिम दिशा में चिनाई युक्त नाला, विद्युत लाइन और बोरवैल मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र

- उत्तर- इस दिशा में आधुनिक बहुमंजिला भवन, ग्रुप हाउसिंग, कॉलोनियां जैसे ब्रहमेश्वर बाग, सत्यबाड़ी इलारप्रिया विला आदि छोटी दुकानें, कंक्रीट सड़क, मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क, 11 केवी, 33 केवी, 240 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन, ट्रांसफार्मर, पोल सिहत विद्युत लाइन, रिलायंस कंपनी का टेलीफोन टावर और अन्य चिनाई युक्त नाला, मेनहाल और आध्निक मंदिर मौजूद हैं।
- दक्षिण- इस दिशा में आधुनिक भवन, बहुमंजिला इमारत, ब्रह्मेश्वर पाटन नामक कॉलोनी, गांव की उप सड़कें, 11 केवी, 33 केवी, 240 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉवर लाइन ट्रांसफार्मर, पोल सिहत विद्युत लाइन, टेलीफोन लाइन, एलपीजी गैस गोदाम, काजू एवं नारियल का मिश्रित पौधारोपण, खेल का मैदान, दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में खुले स्थान, पश्चिम से पूर्व की ओर बहता हुआ नाला और निचले भाग के दलदली क्षेत्र मौजूद हैं।
- पूर्व- इस दिशा में आधुनिक भवन, बहुमंजिला भवन, ब्रह्मेश्वर पाटन नामक कॉलोनी, गांव की उप सड़कें, 11 केवी, 33 केवी, 240 वोल्ट 440 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉवर लाइन ट्रांसफार्मर, पोल सिहत विद्युत लाइन, चिनाई युक्त नाला, मेनहाल, एलपीजी गैस गोदाम, काजू एवं नारियल का मिश्रित पौधारोपण, खेल का मैदान, दक्षिण-पश्चिम भाग में खुले स्थान, पश्चिम से पूर्व की ओर बहता हुआ नाला और निचले भाग के दलदली क्षेत्र मौजूद हैं।
- पश्चिम- इस दिशा में आधुनिक भवन, रत्नाकर बाग नामक कॉलोनी, 240 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत लाइन, ट्रांसफार्मर, पोल सिहत विद्युत लाइन, टेलीफोन लाइन, चिनाई युक्त नाला और मेनहाल मौजूद हैं। दक्षिण-पश्चिमी दिशा में निचले भाग के दलदली क्षेत्र मौजूद हैं।

5.1.3 हरित/खुले स्थानों का वर्णन :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

• उत्तर: इस दिशा में कुछ रिहायशी मकान मौजूद हैं और उत्तर-पश्चिम दिशा में वृक्षों से आच्छादित खुला स्थान मौजूद है।

- दक्षिण: इस दिशा में मुख्यत: रिहायशी आवास और व्यावसायिक एवं वृक्षों से आच्छादित खुले स्थान का बड़ा भाग मौजूद है।
- पूर्व: इस दिशा में अधिक संख्या में निर्मित आधुनिक संरचनाएं मौजूद हैं।
- पश्चिम: इस दिशा में कुछ शेड, टिन और भूतल+1 भवन और वृक्षों से आच्छादित खुले स्थान का बड़ा भूभाग मौजूद है।

विनियमित क्षेत्र

- उत्तर: उत्तर-पूर्व दिशा में गगनचुंबी भवन और खुला क्षेत्र मौजूद है।
- दक्षिण: इस दिशा में वानस्पतिक वृद्धि सिहत निचला क्षेत्र, नहर, हरित/खुले क्षेत्र मौजूद हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में कुछ संरचनाएं, खुला मैदान मौजूद हैं।
- पूर्व: इस दिशा में आधुनिक संरचनाएं मौजूद हैं।
- पश्चिम: इस दिशा में वृक्ष और आध्निक संरचनाएं मौजूद हैं।

5.1.4 परिचालन के अंतर्गत शामिल क्षेत्र - सड़क, फुटपाथ आदि :

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में बहुत सी परस्पर जोड़ने वाली सड़कें हैं, स्मारक के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर शहर की सड़क और मुख्य शहर की सड़कें जाती हैं।

5.1.5 इमारतों की ऊँचाई (क्षेत्रवार) :

• उत्तर: अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर है।

• **दक्षिण**: अधिकतम ऊंचाई **7** मीटर है।

पूर्व: अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है।

पश्चिम: अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर है।

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि हों:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध कोई विरासत भवन मौजूद नहीं हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के विनियमित क्षेत्र में भास्करेश्वर मंदिर और मेघेश्वर मंदिर स्मारक के विनियमित क्षेत्र को ढके हुए हैं।

5.1.7 सार्वजिनक स्विधाएं:

पेयजल और बैठने की व्यवस्था का प्रावधान है। आगंतुकों के लिए स्मारक के भीतर शौचालय खंड उपलब्ध नहीं है।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच:

स्मारक में बीटी (ब्लैक टॉप) कार्ट ट्रैक और कंक्रीट सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

5.1.9 अवसंरचना सेवाएं (जल आपूर्ति, तूफान जल निकासी (स्टोर्म वाटर ड्रेनेज), सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

संरक्षित क्षेत्र में कोई अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

5.1.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रीकरण :

क्षेत्रीकरण को भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना एवं भवन मानक), विनियम, 2008 के अनुसार और सुधार न्यास अधिनियम, 1956 के अनुसार तथा ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के अनुसार वर्णित किया गया है।

अध्याय VI

स्मारक का वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य

6.0 वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य:

मंदिर जिसका आगे का भाग पूर्व की दिशा में है, भगवान शिव को समर्पित है। यह सोमवंश के राजा उद्योत केसरी की माता कोलावती द्वारा बनाया गया था। मंदिर उच्च कोटि के वास्तु कौशलकीय से बना है। यह मंदिर जगमोहन शैली में आंतरिक अलंकरण वाला भुवनेश्वर में दूसरा मंदिर है, पहला मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर है। मंदिर की ऊंचाई 18.29 मीटर है। मुख्य मंदिर में देउल (रेखा) और जगमोहन (पीढा) शामिल हैं। यह रेखाचित्र पर पंचरथ और पंचआतमा की भांति है। यह मंदिर उच्च एवं चित्रकला उत्कृष्टता में मूर्तिकला संबंधी बाह्ल्यता के लिए प्रसिद्ध है।

6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

आधुनिक इमारतों, बहु मंजिला इमारत, दुकानें, टेलीफोन लाइनें, कंक्रीट सड़क, और टेलीफोन टावरों की बढ़ती संख्या के विकास और शहरीकरण के कारण यहां बहुत अधिक विकास कार्य चल रहे हैं।

6.2 संरक्षित स्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

स्मारक प्रतिषिद्ध क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम दिशाओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व और पश्चिम दिशाओं से आंशिक रूप से दिखाई देता है।

6.3 पहचान के लिए भू-उपयोग:

भूमि-उपयोग अधिकतर रिहायशी आवास, बहु-मंजिला इमारतों, अपार्ट्मेंट और दुकानों के लिए है। स्मारक के सामने की सड़क अन्य इंटरकनेक्टिंग शहर की सड़कों से जुड़ती है। विनियमित क्षेत्र स्कूल, कॉलोनियों, बहु-मंजिला इमारत, ग्रुप हाउसिंग और घनी आबादी वाला है।

6.4 संरक्षित स्मारक के अलावा अन्य प्रातात्विक धरोहरें:

संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में संरक्षित स्मारक के अलावा कोई भी प्रातात्विक अवशेष मौजूद नहीं हैं।

6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य:

स्मारक एकाम्रक्षेत्र का एक हिस्सा है- यह भुवनेश्वर का वो मंदिर वाला शहर है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की अंतिम सूची में नामांकित है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारकों को बचाने में भी मदद करते हैं:

स्मारक आधुनिक निर्माणों से घिरा ह्आ है। बड़ी संख्या में खुले स्थान पेड़ों से ढंके ह्ए हैं।

6.7 खुले स्थान का उपयोग और निर्माण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पश्चिमी दिशा में ट्रेस के साथ कवर किए गए खुले स्थान उपलब्ध हैं। अन्य स्थान आधुनिक इमारतों, अपार्ट्मेंट, छोटी दुकानों, स्कूल, ट्रांसफार्मर, पोल सहित विद्युत लाइन आदि से कवर किए गया है।

6.8 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

वर्तमान में कोई भी पारंपरिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कार्यकलाप आयोजित नहीं किए जा रहे हैं।

6.9 स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से से दिखाई देने वाला क्षितिज :

स्मारक नए निर्माणों के बीच स्थित है और यह आधुनिक निर्माणों के कारण लगभग छिपा हुआ है, इसलिए स्मारक क्षितिज से आंशिक रूप से दिखाई देता है। स्मारक पश्चिम और दिक्षण-पश्चिम दिशा से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

6.10 स्थानीय वास्तुकला :

स्मारक के आस-पास कोई भी पारंपरिक वास्त्कला का नमूना मौजूद नहीं है।

6.11 स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना :

यह अनुलग्नक- V पर देखा जा सकता है।

6.12 भवन से संबंधित पैरामीटर:

- (क) साइट पर निर्माण की ऊँचाई (छत संरचना जैसे ममटी, पैरापेट, आदि सहित): स्मारक के विनियमित क्षेत्र की सभी इमारतों की ऊँचाई 07 मीटर तक सीमित रहेगी।
- (ख) तल क्षेत्र: एफएआर स्थानीय भवन उप-नियमों के अन्सार होगा।
- (ग) उपयोग: स्थानीय भवन उप-नियमों के अनुसार भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं।

(घ) अग्रभाग डिजाइन: -

- अग्रभाग को स्मारक के परिवेश से मिलता-जुलता होना चाहिए।
- सामने की सड़क के किनारे या सीढ़ी वाले शाफ्ट के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े
 कांच के अग्रभाग की अन्मित नहीं होगी।

(ङ) छत डिजाइन: -

 चिकनी मिट्टी से बनी टाइलों जैसी पारंपरिक सामग्री की ढलुआ छत का प्रयोग किया जा सकता है।

(च) भवन निर्माण सामग्री: -

- स्मारक की सभी सड़क के किनारे सामग्री और रंग में संगति।
- आधुनिक सामग्री जैसे कि एल्यूमीनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंट, और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री को बाहरी फिनिश के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- पारंपरिक सामग्री जैसे ईंट और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।
- (छ) रंग: बाहरी रंग स्मारकों के साथ मेल खाता होना चाहिए।

6.13 आगंतुक सुविधाएं:

साइट पर आगंतुक सुविधाएं जैसे रोशनी, शौचालय, विवेचना केंद्र, कैफेटेरिया, पीने का पानी, स्मारिका दुकान, ऑडियो-विजुअल सेंटर, रैंप, वाई-फाई और ब्रेल सुविधा उपलब्ध होना चाहिए।

अध्याय VII स्थल विशिष्ट अनुशंसाएं

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशं

क) सेटबैक

 इमारत के सामने के किनारे में मौजूदा सड़क लाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। न्यूनतम खुले स्थान की आवश्यकताओं को सेटबैक या आंतरिक आंगनों और छतों के साथ पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

ख) अनुमान (प्रोजेक्शंस)

 सड़क के 'बाधा मुक्त' मार्ग से बाहर भूमि स्तर पर किसी भी तरह की सीढ़ी और पिट्टियों की अनुमित नहीं दी जाएगी। सड़कों को वर्तमान बिल्डिंग एज लाइन से मापने वाले 'बाधा मुक्त' पथ के साथ निर्मित किया जाएगा।

ग) पट्टिकाएं (साइनेज)

 विरासत क्षेत्र में पट्टिका के लिए एलईडी या डिजिटल संकेत, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य उच्च परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बैनर की अनुमित नहीं हो सकती है; लेकिन विशेष कार्यक्रमों/मेले आदि के लिए इसे तीन दिनों से अधिक नहीं लगाया जा सकता है। विरासत क्षेत्र

- के भीतर होर्डिंग्स, बिल के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- संकेतों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी विरासत संरचना या स्मारक के दृश्य को अवरुद्ध न करें और किसी पैदल यात्री को सामने से दिखाई दे।
- हॉकर्स और विक्रेताओं को स्मारक की परिधि पर अनुमित नहीं दी जा सकती है।

7.2 अन्य सिफारिशं

- व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है।
- निर्धारित मानकों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाएंगे।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District – Khurda, Odisha, prepared by the Competent Authority, are hereby published, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public,

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 TilakMarg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

- (i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District Khurda, Odisha.
- (ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the monuments.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

- (a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) The remains of an ancient monument,
 - (ii) The site of an ancient monument,
 - (iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
 - (iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,
- (b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
 - (ii) The means of access to, and convenient inspection of the area,
- (c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958),
- (d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,
- (e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act,
- (f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
 - Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,
- (g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for

- supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,
- (h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot,

 FAR = Total covered area of all floors divided by plot area,
- (i) "Government" means The Government of India,
- (j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto,
- (k) "owner" includes-
 - (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himelf and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and
 - (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,
- (l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.
- (m) "Prohibited area" means any area specified or declared to be a Prohibited area under section 20A.
- (n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,
- (o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,
- (p) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B.
- (q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its preexisting structure, having the same horizontal and vertical limits,
- (r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,
- (2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2. Background of the Act:-The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred m in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred m in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and, permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

- **2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:** The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.
- **2.2 Rights and Responsibilities of Applicant:** The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:
 - (a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
 - (b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.
 - (c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument – Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District – Khurda, Odisha.

3.0 Location and Setting of the Monument:-

- It is situated at GPS Coordinates: Lat. 20°14'23.15"N, Long 85°51'06.22"E.
- Brahmeswar Temple with its minor Shrines in the compound is located in Bargarhat 8.7 km south from the Bhubaneswar city, district-Khurda,Odisha.
- The monument is well connected by rail, road and air. The nearest railway station is Bhubaneswar Railway Stationwhich is 4.8km north from the temple.
- The nearest airport is Biju Patnaik International Airport is 4.9 km west from the temple.
- The temple is interconnected by bus services from Baramunda and Bhubaneswar Bus Stand.




Fig: Google Map of the Brahmeswar Temple, Locality-Baragarh, District – Khurda, Odisha

3.1 Protected boundary of the Monument:

It may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The notification of the monument may be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monument:

The temple facing east is dedicated to lord Siva. It was built by Kolavati, mother of SomavamsiKing UdyotaKesari in the 18th regnal year of his reign. This is the second temple at Bhubaneswar with internal embellishment in *jagamohana*, the first being the MuktesvaraTemple. The temple is also noted for sculptural wealth of high and iconographic merit.

The EkamraPurana, Ekamra being the old name of the Lingaraj temple, describes that Lord Siva requested Lord Brahma to erect a temple towards the north-east of the Lingaraj temple. On Brahma's orders, Visvakarma constructed the temple and it was named after the Creator. This is established by an inscription which was earlier on its wall, but is now lost. On the basis of the regnal year, the date of construction can be fixed in the middle of the 11th century CE. Some scholars place it a little earlier in the 10th century CE. Somavamsis were inclined towards Saivism and were responsible for the construction of most of the important Siva temples of Bhubaneswar.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

It is the second temple at Bhubaneswar with internal embellishment in *jagamohana*, the first being the Muktesvara temple. The height of the temple is 18.29m. The main shrine consists of a *deul(rekha)* and a *jagamohana(pidha)*. It is *pancha-ratha* on plan and of *panchayatana* class. The temple is built on the basic form of a typical Odishan temple having a *jagamohana*with apyramidal (*pidha*) roof crowned by a complete *mastaka*. The *deula* has five fold division of the *bada*. Designed as a *Pancharatha* temple the *vimana* does not give a square look on account of the round corners. Both the *deula*and the *jagamohana*rise straight from the ground and are devoid of any platform. On the main structure one sees the imposition of both miniature *sikharas* and *pidhas*, some finished and some half done. The miniature *pidhas* are a unique feature of Brahmesvara Temple which is not found elsewhere. There is more stylization of the *gavaksha*, in Brahmesvara. As usual the *Parsva-devatas* of Siva, Viz, Ganesa, Kartikeya and Paravati, each made of single block of stone have been placed in their respective niches on the central *rahapaga*. The *jagamohana*has a door in the east in addition to two bolstered windows on the north and the south.

3.4 CURRENT STATUS

3.4.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

About 200 visitors visit this temple every day. In the month of Shravana, around 400 visitorscome here to worship the lord Siva every day.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

In in the comprehensive development plan of Bhubaneswar Development Plan Area, 2030this temple is placed in Special Heritage Zone. As per the Bhubaneswar Development Authority (Planning and Building standard) Regulation 2008,the heritage building / monument and religious places have been placed in public, semi-public use zone (Part III, 24& 25) while areas of historical or archaeological importance are placed in 'special area use zone' (Part III, 24 & 25).

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District – Khurda, Odisha:

Survey Plan of Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District – Khurda, Odisha, may be seen at **Annexure-IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

• Protected Area(approx.): 1,18,86.22 sqm. (2.937 acre)

• Prohibited Area(approx.): 76,527.304 sqm. (18.910 acre)

• Regulated Area (approx.): 3,40,519.927 sqm. (84.144 acre)

Salient Features:

In all directions of the ProhibitedArea of the monument, the land-use is mainly for residential and commercial purpose, apartments, small shops, etc. The road in front of the monument connects to other interconnecting city roads. A road and a drain run through three sides of the monument except the eastern side. In the south-east, south-west and western side of the Regulated Area of the monument are open fields. However, in the opposite directions, some new constructions havecome up.

5.1.2 Description of built up area:

Prohibited Area

- North: Modern buildings, small shops, concrete roads, an artery road, a 33kv and 240volt electricity line, masonry drain, power line with pole, telephone line and manhole are present in this direction.
- South: Modern houses mostly of Ground+1, concrete roads, sub roads, masonry drain, power line with pole, bore wells, manhole, telephone line and septic tank are present in this direction.
- East:Modernbuildings, masonry drain, power line with pole, concrete road, a transformer, and a telephone tower of Airtel company are present in this direction. Also, the area in the north-east and south-east directions is densely populated.
- West: Green area, open area, pond, few huts and modern houses, Multi-storied buildings in the south-west direction and in the north-west direction, masonry drain, power line andbore-wellsare present in this direction.

Regulated Area

- North: Modern, multi-storied buildings, group housing, colonies like BrahmeswarBagh, SatyabadiIlarapriya Villa etc., small shops, concrete roads a main artery road, 11 kv, 33 kv, 240 volt, 440 volt electricity power line, transformer, power line with pole, telephone line, telephone tower of Reliance company and others, masonry drain, manhole andmoderntemples are present in this direction.
- **South:** Modern buildings, multi-storied buildings, colony named BrahmeswaraPatana, village sub roads, 11.0kv, 33.0kv, 240volt, 440volt electricity power line, transformer, power line with pole, telephone line, masonry drain, manhole, LPG gas godown, mixed plantation of cashew and coconut, a playground, open spaces in the south western side, a *nala* running from west to east and low-lying, swampy areasare present in this direction.
- East: Modern buildings, multi-story buildings, colony named BrahmeswaraPatana, village sub roads, 11.0kv, 33.0kv, 240volt, 440volt electricity power line, transformer, power line with pole, telephone line, masonry drain, manhole, LPG gas godown, mixed plantation of cashew and coconut, a playground, open spaces in the south western side, a *nala* running from west to east and low-lying, swampy areas are present in this direction.
- West: Modem buildings, colony named RatnakaraBagh, 240 volt electricity power line, transformer, power-line with pole, telephone line, masonry drain and manholeare present in this direction. Low-lying, swampy areas are present in the south-west direction.

5.1.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area

- **North:** Few residential houses are present in this direction and vacant space covered with trees is present in the north-west direction.
- **South:** Mainly residential and commercial constructions and a large amount of vacant space covered by trees are present in this direction.
- East: Number of modern construction built-up is present in this direction.
- West: Some sheds, tin and Ground+1 building and a large amount of vacant space covered by trees are present in this direction.

Regulated Area

- North: High rise buildings and an open field is present in the north-east direction
- **South:** Low-lying area with vegetationgrowth, a canal, green/open spaces are present in this direction. Few constructions, an open ground are present in southwest direction.
- **East:** Modern buildings are present in this direction.
- West: Trees and modern constructions are present in this direction.

5.1.4 Area covered under circulation-roads, footpaths etc. :

There are many inter connecting roads in the Prohibited and RegulatedArea, other city roads and a main city roadruns through north, south and west of the monument.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise):

- **North:** The maximum height is 7m.
- **South:** The maximum height is 7m.
- **East:** The maximum height is 10m.
- **West:** The maximum height is 7m.

5.1.6 State protected monuments and listed heritage buildings by local authorities if available within Prohibited/Regulated area:

There are no state protected monuments and listed heritage buildings by local authorities within the Prohibited and Regulated Area. However, the Regulated Areas of Centrally Protected Monuments Bhaskareswar Temple and Megheswar Temple overlap the Regulated Area of the monument.

5.1.7 Public amenities:

There is provision for drinking water and sitting arrangements. No toilet block is available inside the monument for visitors.

5.1.8 Access to monument:

The monument is easily accessible by BT (black top), cart track and concrete roads.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

There are no infrastructure services available in the Protected Area.

5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

Zoning is defined as per the Bhubaneswar Development Authority (Planning and building Standards), Regulations -2008 and as per the Town Planning & Improvement Trust Act, 1956 and as pertheOdisha Development Authority Act, 1982.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

The temple facing east is dedicated to lord Siva. It was built byKolavati, mother of Somavamsi King UdyotaKesari. The temple is a product of mature architectural skill. This is the second temple at Bhubaneswar with internal embellishment in *jagamohana*, the first being the Muktesvara temple. The height of the temple is 18.29m. The main shrine consists of a *deul* (*rekha*) and a *jagamohana* (*pidha*). It is *pancha-ratha*on plan and of *panchayatana*class. It is also noted for sculptural wealth of high iconographic merit.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The increasing number of modern buildings, multi-storied building, shops, telephone lines, concrete road, and telephone towers are indicators of developmental pressure and urbanization faced by the monument.

6.2 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area:

The monument is clearly visible from the south-west and west directions of the Prohibited Area and is partly visible from the south-east and west directions of the Regulated Area.

6.3 Land-use to be identified:

The land-use is mostly residential with multi-storied buildings, apartments and shops. The road in front of the monument connects to other interconnecting city roads. The Regulated Area is densely populated with a school, colonies, multi-storied building, group houses, etc.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No archaeological remains other than the protected monument are present in the Prohibited and Regulated Area of the monument.

6.5 Cultural landscapes:

The monument is a part of Ekamra Kshetra- The Temple City of Bhubaneswar which is nominated in the Tentative list of World Heritage by UNESCO.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The monument is surrounded by modern constructions. A large number of open spaces are covered with trees.

6.7 Usage of open space and constructions:

Open spaces covered with tress are available in the western direction of the Prohibited Area. All other spaces are covered with modern buildings, apartments, small shops, school, transformer, power line with pole, etc.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, historical and cultural activities take place at present.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The monument is located amidst new constructions and it is almost hidden due to modern constructions, so the monument is partly visible from skyline. The monument is clearly visible from the west and south-westside.

6.10 Traditional Architecture:

No traditional architecture is prevalent around the monument.

6.11 Developmental plan, as available, by the local authorities:

It may be seen at Annexure-V.

6.12 Building related parameters:

- (a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 07m.
- **(b) Floor area:** FAR will be as per local building bye-laws.
- (c) Usage:-As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design:-

- The façade design should match the monument.
- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design:-

• Sloping roof of traditional material may be used.

(f) Building material: -

- Consistency in materials and color along all street façades of the monument.
- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick and stone should be used.

(g) Colour: -

The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, wi-fi and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations.

a) Setbacks

• The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

• No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

• LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.

- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.


7.2 Other recommendations

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently abled persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक ANNEXURES

अनुलग्नक - । ANNEXURE - I

ब्रहमेश्वर मंदिर, स्थान- बारागढ़, जिला - खुर्दा (पुरी), ओडिशा की संरक्षित चारदीवारी Protected boundary of Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District – Khurda (Puri), Odisha.



ब्रहमेश्वर मंदिर, स्थान- बारागढ़, जिला - खुर्दा (पुरी), ओडिशा की अधिसूचना Notification of Temple of Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District – Khurda (Puri), Odisha.

मूल अधिसूचना Original Notification

GOVERNMENT OF BIHAR AND ORISSA EDUCATION DEPARTMENT EDUCATION BRANCH. NOTIFICATION The Ist Nevember, 1912 No. 2498E. - In exercise of the power conferred by subsection 2 of section 2 of the Ancient Menuments Proservation Act (Act VII of 1904), the Lieutemant-Governor in Council is pleased after considering the objections which have been raised to confirm Notification No. 578-E, dated the 2th April 1912, which was issued under sub-section (1) of section 2 of the Act and published at page 298 of Part II of the Rihar and Orissa Gazette of the 16th April 1912, declaring the following ancient menuments situated in the villages of Bhubaneswar, Bargarh and Basuaghai all in zilla Bandimal of the Khurda Government State in the district of Puri, to be protected menuments, within the meaning of the said Act. Name of village in which Name of Menuments situate. Mukteswar Temple with its Bhubaneswar. miner shrines. -40-Siddeswar Temple. -40-3. Raja Rani Temple. Prahmoswar Temple. Bargarh. Bhubanoswar. Parasuramoswar Temple. B. Maitreswar Temple. -de-Sari Deal Temple, both Nes. -6.0--Ge-Amanta Basadeb Temple. Basuaghai. Magheswar Templew Bargarh. 10. Bhaskargswar Temple. Bhubaneswar. 11. Sahasralinga Tank. -de-12. Chitrakarimi Temple.

मूल अधिसूचना की टाइप की हुई प्रति

Typed copy of Original Notification

GOVERNMENT OF BIHAR AND ODISHA EDUCATION DEPARTMENT EDUCATION BRANCH

NOTIFICATION

The 1stNovember, 1913

No. 2488 E.- In exercise of the power conferred by sub-section 3 of section 3 of the Ancient Monument Preservation Act(Act VII of 1904), the Lienterent – Governor in Council is pleased after considering the objections which have been raised to confirm Notification No. E7E – E, dated the 8thApril 1913, and published at pace 288 of Part II of the Bihar and Odisha Gazette of the 16thApril 1913, declaring the following ancient monuments situated in the villages of Bhubaneswar, Bargarh and Basuaghai all in tillaLandfeal of the Khurda Government State in the district of Puri, to be protected monuments, within the morning of the saidAct.

NameofMonuments

Name of village in which situate

MukteswarTemplewith its Minorshrines.
 SiddeswarTemple.
 SiddeswarTemple.
 AgjaraniTemple.
 Bargarh

DEPARTMENT OF EDUCATION, STATEM AND LANDS ARCHAROLDOT

Stmla, the 18th June, 1945.

No. F. 4-1(2)/45-F41.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the incient Senuments Preservation Act, 1904 (171 of 1904), the Central Soverment is pleased to design the encient nonuments described in the annexed Schedule to be protected protected nonuments within the meaning of the sail Act.

8				

				0040000			
District	Locality	Fane of nonunert	Latest Latest	Survey plot	Boundartes	Ownership	R
-2	-	- 1	3	6	7		_
Purt	Baragarh	Equesuar / Femple	6	Survey plot No. 2074 Area 0.074 acre	Survey plot Kot W2077 S2077 S2077 F2077	Lord Linguraj Kahaprabhu Aft. Trustees of the said temple.	
••	De	Nobakeswar V	3	Survey plot Eo.2134 Area 0.038 acre	Survey plot 805 82132 52132/4870 22132 72132	Covernment	w.
0e ·	ghubaneeu	er Chisroserni Temple	·\$01	Survey plot 50-3942 area 0.037 scre	Energyptes N Public I SDand of E debdas Choud SDand of I debdas Choud FLord Ling Echaprohiu As	her Makuprabhu hery Mft.Truste hem of the east	es d
000 000	-00	Laksevar - Temple	901	Survey plot #0.26t. Area 0.010 were.	3 Sürbey: ple: 82612 82614 22609 82615	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Do .	Do	Wakreshuar Temple with its mint: abrings.	031	Survey plot Re. 1704 Area 0.017 acro. Survey plot Sc. 1705 Area 0.014 1:15. Survey plot Sc. 1706 Area 0.006 acres Survey plot Ko. 1707 Area 0.217 dare	IPublic SLonz of Sudarsan B ZFublic FLand of Sudarsan B	harathi Rond.	
Do .	Do ,	Nukteshwor Female with its Ninor shrines, but excluding the Eurich Sunds.	630 642	Survey plot No.604 Area 0.055 acre. Survey plot 20.506 Area 0.204 acrs.	Ffabal / (Faste las SLend o. Staheswar (Faste las SLend o. Smalldame Jerocwatt FLand o. Staheswar o.	Den nde). f	*
De .	Do	Sidhesmur Temple	c12	Survey plot MoiteS Area C.OSS ross.	NAuchad Lord Ling SThe Te Futtrandr PThe Te holtower FFlot 1	eraj. epis of Esdha. epis of Bedha:	İ
Do .		Brohnsbuar Temple within tio minor Shrines-in- the compound	6	Survey plot Ac. J:96 Area 0.070 ac. i. Survey plat Fr. 501 Area 0. 36 cors.	Lingaruj SInebas Lingaruj EInebas Lingaruj	ti of Lord Do Echaprobhu ti of Lord Hohsprabhu ti of Lord Achappabhu ti of Lord Kohef abhu.	

Government of India Department of Education, Health and Lands Archaeology

Simla, the 18thJune, 1945

No.F. 4-1(2)/45- F & L.- In exercise of the powers conferred by sub-section(1)of section 3 of the Ancient Monuments Preservation act 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to declare the ancient monuments described in the annexed schedule to be protected monuments within the meaning of the saidAct.

SCHEDULE

District	Locality	Name of	Khata	Survey	Boundaries	Ownership	Remarks
		monument	latest No.	Plot No. and			
Puri	Bhubanwsar	Mukteshwar temple with its minor shrine, but excluding the murichkunda.	830 842	area Survey plot No. 604 Area 0.066acre. Survey plot No.606 Area 0.204 acre.	N- Eukal Anabadt(east e lands). S- Land of Sidheaswar Dev(Easte lands). E- Land of Sachidanand aserewatt.	Lord Lingaraj Mahaprabhu Mft. Trustees of the said temple	
					W- Land of Siabeswar Dev		
Puri	Bhubaneswar	Sidheswar Temple	842	Survey plot No. 605 Area 0.032 acre.	N- Anabadi of lordLingaraj. S- The temple of Mukteswar Bedha. E- The temple of Mukteswar Bedha. W- Plot no.3525	Lord Lingaraj Mahaprabhu Mft. Trustees of the said temple	
Puri	Bargarh	Brahmeswar Temple with its minor Shrines- in-the compound	853	Survey plot No.3596 Area 0.070 acre. Survey plot no.601 Area0.36 acre.	N-Anabadi of lord Lingaraj Mahaprabhu. S -Anabadi of Lord Lingaraj Mahaprabhu. E Anabadi of Lord Lingaraj Mahaprabhu W- Anabadi of Lord Lingaraj Mahaprabhu Mahaprabhu	Lord Lingaraj Mahaprabhu Mft. Trustees of the said temple	

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

"ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982" में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार की जाएगी। इसी अधिनियम के अध्याय VI के अनुसार, ऐतिहासिक या राष्ट्रीय हित या प्राकृतिक सुंदरता की वस्तुओं और वास्तविक रूप से धार्मिक प्रयोजनार्थ (अनुच्छेद 22 पी) उपयोग में लाए जाने वाले भवनों के परिरक्षण हेतु प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम में, विकास क्षेत्र में पर्यावरण के शहरी अभिकल्पन के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्यों की देखरेख करने तथा पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों और अधिक प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थलों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु "कला आयोग" गठित करने का प्रावधान (अध्याय X का अनुच्छेद 88) भी किया गया था।

1. नए निर्माण, सेट बैक के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमेय ग्राउंड कवरेज, एफएआर/एफएसआई और ऊंचाई

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना एवं भवन मानदंड) विनियम-2008 के अनुसार सभी विकासात्मक स्कीमों के लिए निर्माण के सामान्य नियम लागू होंगे।

बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम 2008' के विनियमन 33 (1) और समान विनियम, (संशोधित 2013) के अनुसार, निम्निलिखित प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक, कॉपॉरेट, आईटी/आईटीईएस भवनों के लिए तल क्षेत्र अनुपात के लिए लागू किए जाते हैं:

'तालिका'-1: सड़क की चौड़ाई के अनुसार एफएआर

सड़क की चौड़ाई मीटर में	व्यावसायिक/आवासीय	आईटी/आईटीईएस/
	भवन के लिए एफएआर	कॉपॅरिट भवनों के लिए
		एफएआर
6 तक	1.00	-
6 या अधिक और 9 से कम	1.50	-
9 या अधिक और 12 से कम	1.75	-
12 या अधिक और 15 से कम	2.00	2.00
15 या अधिक और 18 से कम	2.25	2.25
18 या अधिक और 30 से कम	2.50	2.50

30 और अधिक	2.75	2.75
------------	------	------

- विनियमन के भाग VII (58) के अनुसार, **बहु-मंजिला भवन के निर्माण पर प्रतिबंध** के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू किए गए हैं।
- प्राधिकरण सरकार का उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपलब्ध बुनियादी ढांचे और योजना की जरूरतों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित कर सकता है।
- इन विनियमों की शुरुआत से पहले, जहां सशर्त रूप से अनुमित दी गई है, और ऐसे मामलों को इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत बिना किसी बड़े बदलाव के, या निर्माण को हटाए बिना निपटा जाएगा बशर्ते कि जहां विरासत क्षेत्र की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, यह छूट लागू नहीं होगी।
- िकसी भी बहु-मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमित नहीं दी जाएगी:
 - 18 मीटर से कम चौड़ाई वाली अप्रोच रोड के साथ,
 - 2000 वर्गमीटर से कम आकार के भूखंड पर।
- सेटबैक और खुले स्थान (ओपन स्पेस) के लिए, विनियमन के भाग IV (31 और 32) के अनुसार, सेटबैक और खुले स्थान (ओपन स्पेस) नीचे वर्णित हैं;

"तालिका" भूखंड (प्लॉट) के आकार के अनुसार अनुमेय सेटबैक और भवनों की ऊँचाई

भूखंड आकार (वर्गमी. में)	भवन की अधिकतम अुनमेय	सी	सामने व		न्यूनतम सेटबैक दूसरी साइड पर (मीटर में)			
	ऊंचाई	9	9 मी.	12 मी.	18 मी.	30	पिछला	अन्य
	(मी. में)	मी.	और	और	और 30	मी.	भाग	साइड
		से	12 मी.	18 मी.	मी. से	से		
		कम	से कम	से कम	कम	अधि		
						क		
[1]	[2]	[3(क	[3(ख)]	[3(ग)]	[3(ਬ)]	[3(ङ)]	[4]	[5]
)]						
100 से कम	7						1.0	-
100 और 200	10						1.5	1.5
तक		1.5	2.0	2.5	3.0	4.5		

200 से अधिक							2.0	1.5
और 300 तक	10							
300 से अधिक		1.5	2.0	3.0	3.0	4.5		
और 400 तक	12						2.5	1.5
400 से अधिक								
और 500 तक	12						3	2
500 से अधिक		1.5	2.0	3.0	4.0	4.5		
और 750 तक	15						3	3
750 से अधिक	15							
							4	4

• बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम-2008 के विनियमन 43 (3) के अनुसार पार्किंग सुविधा के लिए विनिर्देश नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है;

'तालिका-3' अधिभोग की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्थल

क्र. सं.	भवन/कार्यकलाप की श्रेणी	कुल निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर) की प्रतिशतता के रूप में उपलब्ध कराया जाने वाला पार्किंग क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स, रिटेल शॉपिंग सेंटर, आईटी/आईटीईएस कॉम्प्लेक्स और होटल के साथ शॉपिंग मॉल	60
2.	रेस्तरां, लॉज, अन्य व्यावसायिक भवन, विधानसभा भवन, कार्यालय और ऊंची इमारतें	40
3.	आवासीय अपार्टमेंट इमारतें, नर्सिंग होम, अस्पताल, संस्थानिक और औद्योगिक भवन	30

2. धरोहर उप नियम/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो, स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध हैं।

भुवनेश्वर शहर के एएसआई स्मारकों/विरासत के लिए कोई विशिष्ट उप-नियम तैयार नहीं किए गए हैं। बीडीए (पीएंडबीएस) विनियम-2008 के विनियम के भाग ॥ (18) के अनुसार, संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण के लिए निम्नलिखित एएसआई प्रावधान लागू किए गए हैं। विनियम के भाग ॥ (17) के अनुसार, एएसआई और राज्य सरकार के विरासत भवनों और स्मारकों के कार्यों की देखरेख करने हेतु "कला आयोग" गठित करने का प्रावधान किया गया था। इस विनियम के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि किसी भवन का निर्माण या पुन:निर्माण एक घोषित संरक्षित स्मारक की बाहरी बाउंडरी से 100 मीटर या ऐसी किसी अन्य अधिक दूरी, जैसे समय-समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और ओडिशा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा तय की जाए, के घेरे के अंदर करने की अनुमित नहीं दी जाएगी भाग ॥ (18-1)॥ इसी विनियम में ऐसे स्मारकों की 300 मीटर दूरी के घेरे के अंदर तथा 100 मीटर के घेरे से आगे, प्रथम तल से अधिक (7 मीटर से ऊपर) किसी निर्माण को करने की अनुमित नहीं दी जाएगी [भाग ॥ (18-2)(i)]।

ऊपर दिए उप-विनियम (1) और (2) में शामिल किसी कथन के बावजूद, एएसआई/राज्य पुरातत्व विभाग, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति (क्लियरेंस) प्राप्त कर लेने के बाद ही, किसी निर्माण/प्न:निर्माण/बदलाव/ज्ड़ाव को करने की अन्मित दी जाएगी।

3. खुले स्थान

- विनियम के भाग III (31) के अनुसार, सांस्थानिक भवनों, शिक्षण भवनों और खतरनाक उद्योगों के भवनों के लिए, भवन के इर्द-गिर्द खुले स्थानों को 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
- सभा भवन सामने की ओर का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और अन्य भवन के लिए 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
- व्यावसायिक एवं भंडारण भवन 500 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक के प्लॉटों के मामले
 मं, भवन के चारों तरफ खुला स्थान 4.5 मीटर से कम न होने का उल्लेख किया गया
 है।
- औद्योगिक भवन औद्योगिक भवन के मामले में, 15 मीटर की ऊंचाई तक, खुला स्थान 4.5 मीटर से कम न हो, ऊंचाई में 1 मीटर के अंश की प्रत्येक बढ़त के साथ 0.25 मीटर की चौड़ाई में वृद्धि रखने का उल्लेख किया गया है।
- आईटी/आईटीईएस और अन्य कार्पोरेट भवन 750 वर्ग मीटर तक की माप के प्लॉट के मामले में, भवन के चारों ओर निर्माण संबंधी न्यूनतम कंपन (सैटबैक) का प्रभाव 3 मीटर की दूरी से कम अंतर पर न रहने का उल्लेख किया गया है। 750 वर्ग मीटर से अधिक माप के प्लॉट के मामले में, भवनों के आस-पास निर्माण संबंधी कंपन का

प्रभाव न्यूनतम 4.5 मीटर की दूरी से कम अंतर पर न पड़ने देने का उल्लेख किया गया है।

तालिका 4: भवन के चारों ओर बाहरी खुले स्थानों को रखने का प्रावधान

क्र. सं.	भवन की ऊंचाई मीटर में	सभी चारों तरफ छोड़े जाने वाले बाहरी खुले स्थान मीटर में (प्रत्येक प्लॉट के सामने, पीछे और साइडों में)
1.	15 और 18 से ऊपर तक	6
2.	18 से अधिक और 21 तक	7
3.	21 से अधिक और 24 तक	8
4.	24 से अधिक और 27 तक	9
5.	27 से अधिक और 30 तक	10
6.	30 से अधिक और 35 तक	11
7.	35 से अधिक और 40 तक	12
8.	40 से अधिक और 45 तक	13
9.	45 से अधिक और 50 तक	14
10.	55 से अधिक तक	15

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ आवाजाही (मोबिलिटी) - सड़क तल निर्धारण, पैदल पथ, गैर-मोटर चालित परिवहन आदि

शहरी क्षेत्र होने के कारण राजरानी मंदिर का आस-पास का इलाका पक्की और कार्ट ट्रैक सड़कों यानी मुख्य संपर्क मार्गों, गलियों आदि से ढका है। परिवहन का प्राथमिक साधन व्यक्तिगत मोड यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, कार, जीप, ऑटो-रिक्शा, बसें आदि से है। संरक्षित क्षेत्र में केवल पैदल चलने वालों के लिए अनुमित है।

हर भवन/प्लॉट में भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2005 के खंड 4,
 भाग-3 में यथाविनिर्दिष्ट चौड़ाई की समान विधिवत बनाई गई गलियों/सड़कों जैसी
 पहुंच के सार्वजनिक/निजी आवाजाही के साधनों का प्रबंध किया जाना होगा।

- किसी भी परिस्थिति में प्लॉटों के विकास को तब तक अनुमित नहीं दी जाएगी जब तक कि इसके पास इस तक पहुंचने के सार्वजिनक/निजी गिलयारों की चौड़ाई 6 मीटर से कम न हो।
- सांस्थानिक, प्रशासनिक, सभा औद्योगिक और अन्य गैर आवासीय तथा गैर-व्यावसायिक कार्यकलापों के मामले में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।

5. शहरी सड़क डिजाइन (स्ट्रीटस्केप्स), अग्रभाग (फसाडद्स) और नए निर्माण

उपर्युक्त अधिनियम और विनियम में अग्रभागों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, स्ट्रीटस्केप्स और नए निर्माण के लिए उपर्युक्त बिंदु में ब्यौरे का उल्लेख किया गया है।

LOCAL BODIES GUIDELINES

In the OdishaDevelopment Authority Act 1982' there is clearly mentioned that comprehensive development plan shall be prepared for each zone. As per Chapter VI of the same Act, the provision was made for the preservation of objects of historical or national interest or natural beauty and of buildings actually used for religious purposes (Section 22 P). In the same Act, provision was made to constitute Art Commission to look after the affairs of restoration and conservation of urban designing of the environment in the development area and restoration and conservation of archaeological and historical sites and sites of high scenic beauty (Section 88 of ChapterX).

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated Area for new construction, Set Backs.

The General rules of construction shall be applicable for all development schemes as per Bhubaneswar Development Authority (Planning & Building Standards) Regulation-2008.

As per Regulation 33(1) of the BDA (P&BS) Regulations 2008 and same regulation (amended 2013), the following provisions are made applicable for **Floor Area Ratio** for residential, commercial, corporate, IT/ITES buildings as below.

Road width in m.	FAR for Commercial /Residential building.	FAR for /IT/ITES/Corporate buildings
Up to 6	1.00	-
6 or more & less than 9	1.50	-
9 or more & less than 12	1.75	-
12 or more & less than 15	2.00	2.00
15 or more & less than 18	2.25	2.25
18 or more & less than 30	2.50	2.50
30 & above	2.75	2.75

Table -1: FAR AS PER ROAD WIDTH

As per the part VII (58) of the Regulation the following provisions are made applicable for **Restriction on Construction of Multi-storiedbuilding**.

• Construction of multi-storied building shall not be permitted in villages namely

42

Bhubaneswar, Kapileswar, Rajarani and Dhauli, Mukunda Prasad &Gadakhurda. The Authority may include any other areas for prohibition of multi storied building form time totime.

- The Authority may restrict construction of multi-storeyed buildings in any other area on the basis of objective assessment of the available infrastructure and planning needs after obtaining due approval of theGovernment.
- Before commencement of these regulations, where permission has been granted conditionally, and such cases shall be dealt with under corresponding provisions of these Regulations without any major change, or removal of construction, subject to the condition where violation of Heritage Zone conditions has occurred, this relaxation shall notapply.
- No multi-storied building shall be allowed to beconstructed:
 - With approach road less than 18 m width,
 - > On plot the size less than 2000Sqm.

For **Setbacks and Open Spaces**, as per part IV (31 and 32) of the Regulation, the Setbacks and Open spaces are described as below;

TABLE 2 PLOT SIZEWISE PERMISSIBLE SET BACKS AND HEIGHT OF BUILDINGS

Plot size (in Sqm)	Maximum Height of building permissible (in	Minimum front setback (in m.) As per the abutting road width						Minimum Setbacks on other sides (in m.)		
(m gqm)	m.)	Less than 9 m.	9 m. and below 12 m.	12 m. less than 18 m.	18 m.& less than 30 m.	Above 30 m.	Rear side	Other Side		
[1]	[2]	[3(a)]	[3(b)]	[3(c)]	[3(d)]	[3(e)]	[4]	[5]		
Less than 100	7						1.0	-		
100& up to 200	10	1.5	2.0	2.5	3.0	4.5	1.5	1.5		
Above 200&up to 300	10						2.0	1.5		
Above 300 & Up to 400	12	1.5	2.0	3.0	3.0	4.5	2.5	1.5		
Above 400&Up to 500	12						3	2		

Above 500&Up to 750	15	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5	3	3
Above 750	15						4	4

Specification for Parking Facility as per Regulation 43(3) of the BDA (P & BS) Regulation 2008, the specification for parking has been specified as below;

TABLE-3 OFF STREET PARKING SPACE FOR DIFFRENT CATEGORY OF OCCUPANCIES

Sl.No	Category of building/activity	Parking area to be rovided as percentage of otal built up area (sqm)
(1)	(2)	(3)
1.	Shopping malls, shopping malls with Multiplexes/ineplex's, Retail shopping centre, IT/ITES complexes and hotel	60
2.	Restaurants, Lodges, Other commercial buildings, Assembly buildings, Offices and High rise buildings	40
3.	Residential apartment buildings, Nursing Home, Hospital, Institutional and Industrial buildings	30

2. Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies.

No specific bye laws are prepared for the ASI monuments/ heritage of the Bhubaneswar city. As per the part II (18) of Regulation of the BDA (P&BS) Regulations-2008 and, the following ASI provisions are made applicable for the construction near Protected Monuments. As per the regulation, a provision was made to constitute an "Art Commission" to look after the affairs of the heritage building and the monuments of ASI and State government [part II (17-1)]. According to this regulation, it is mentioned that no construction or re-construction of any building, within a radius of 100 m, or such other higher distance from any archaeological site, as may be decided by the Archaeological Survey of India and Odisha State Archaeology department from time to time, from the outer boundary of a declared protected monument shall be permitted (part II (18-1).In the same

Regulation no construction above 1stfloor (above 7 m) shall be allowed beyond a radius of 100 meters and within a radius of 300 m of such monuments [part II (18-2)].

Notwithstanding anything contained in the sub-regulation (1) & (2) above, construction/reconstruction/addition/alteration shall be allowed on production of clearance from A.S.I/State Archaeology Department as the case may be.

3. Open spaces.

As per part III (31) of the regulation, for the Institutional buildings, Educational building and Hazardous occupancies, the open spaces around the building is mentioned, not less than 6 m.

Assembly building-The open spaces in front is mentioned as, not less than 12 m. and for other building, open spaces around the building is mentioned, not less than 6 m.

Commercial & Storage buildings- In case of plots with more than 500 sqmarea, the open space around the building is mentioned, not less than 4.5 m.

Industrial buildings-In the case of industrial building, open space has described, not less than 4.5 m for heights up to 15 m, width and increase of 0.25 m for every increase of 1 m of fraction thereof inheight.

IT/ITES and other Corporate Buildings-In the case of plot upto 750 sqm the minimum setbacks around the building has described not less than 3 m. In case of plot above 750 sqm, the minimum setbacks around the buildings mentioned are not less than 4.5 m.

TABLE-4 PROVISION OF EXTERIOR OPEN SPACES AROUNDTHE BUILDINGS

S.No	Height of the Building in meters	Exterior open spaces to be left out on all side in m.(front, rear and sides in each plot)
1.	15 and above up to 18	6
2.	More than 18 & up to 21	7
3.	More than 21& up to 24	8
4.	More than 24 & up to 27	9
5.	More than 27& up to 30	10
6.	More than 30 & up to 35	11
7.	More than 35 & up to 40	12
8.	More than 40& up to 45	13
9.	More than 45& up to 55	14
10.	More than 55	15

4. Mobility with the Prohibited and Regulated Area – Road Surfacing, Pedestrian Ways, non –motorised Transport etc.

The surrounding area of Rajarani temple is covered with Metalled& Cart track roadsi.e. main connecting roads, lanes etc. Since it is a city area, the primary mode of transportation is by personalised mode i.e. by motorcycles, scooters, bicycles, cars, jeeps, auto-rickshaws, buses etc. The protected area is allowed only for pedestrians. However, the Bhubaneswar Development Authority (BDA) has also prepared some rules as per part II (29) of


Regulations 2008, as below:

- Every building/ plot shall abut a public/ private means of access like streets/roads of duly formed of width as specified in clause 4, Part − 3 of National Building Code of India (NBC) 2005.
- In no case, development of plots shall be permitted unless it is accessible by a public/private street of width not less than6m.
- In case of institutional, administrative, assembly, industrial and other non-residential and non-commercial activities, the minimum road width shall be 12m.


5. Streetscapes, Facades and New Construction.

There is no specific account made in the above said act and regulations regarding facades. However for streetscape and new construction, the details are stated in the above point.

ब्रहमेश्वर मंदिर, स्थान-बारागढ़, जिला- खुर्दा (पुरी), ओडिशा की सर्वेक्षण योजना Survey plan of Brahmeswar Temple, Locality- Baragarh, District – Khurda (Puri), Odisha.



स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई कई विकास योजना Development plan as provided by the local authorities.



स्मारक और उसके आस-पास का क्षेत्र Monument and its surrounding area



चित्र 1, ब्रह्मेश्वर मंदिर का सामान्य दृश्य Figure 1, General view of Brahmeswar Temple



चित्र 2-4, अलग-अलग दिशाओं से स्मारक का वास्तुकीय दृश्य Figure 2-4, Architectural view of the monument from different side